

की पेश है।

05/01/2021

पञ्चावली पेश हुई। वकील प्राचीनग
उप। अग्रणी सं० 1 व 3 की ओर से श्री
सरन कुमार पत्रा एड० उप। अग्रणी
सं० 2 व 4 ता 7 की तामीत सम्पत्ति रूप से
होकर लौटी है। बावजूद सम्पत्ति तामीत उक्त
अग्रणीग की उगीव से कोई हाजिर अदालत
नहीं आया है। अतः अग्रणी सं० 2 व 4 ता
7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में
लाई जाती है। बावन्ते जवाब अग्रणी सं० 1 व
3 पञ्चावली दिनांक 26/02/2021 को पेश है।

26/02/21

वकील उभय पक्ष उप। पञ्चावली पेश
होने पर उपर्युक्त मूल प्रार्थना पत्र अपील
नामान्तरकरण में अप्राची संख्या 1 व 3 की
ओर से अपीलवागीग की ओर से मूल प्र
पत्र अपील नामान्तरकरण में प्रस्तुत जवाब
इकबाली जवाब के मध्यमजपर हस्तगत
प्रार्थना पत्र में स्वगन बावत किसी प्रकार
कोई हक-अधिकार बावत कोई प्रश्न व्यापार्य
दाज के समक्ष पैदा नहीं होता है। अतः हस्तगत
प्रार्थना पत्र स्वगन स्वीकार किया जाकर ता
दौराने फैसल मूल प्रार्थना पत्र अपील नामान्तरकरण
स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि

तन ग्राम जखड़ी खसरा नम्बर 79, 80
81, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 131 ता 137
139, 140, 318 ता 324, 124 ता 128, 141 ता
144 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मोटे की

भव्याखिबति बनाए बाबत अप्रार्थिगिण को
ता दौरान फैसल मूल प्रार्थना पत्र अपील नाम-
निरुकरण पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार दोऊर नम्बर से कम हो तबा
बाद तक्रमील दाखिल दफ्तर हो। यह
निर्णय आज दिनांक 26/02/2021 को
मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर हक्म न्यायालय
मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया
गया।


(राकेश कुमार)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला, सीकर